न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री गोपाल लाल स्वर्णकार, आरएएस,

प्रकरण संख्याः– 3/2019 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांकः– 25.02.2019

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

––––––––––––प्रार्थी

बनाम

श्री जगदीश पिता शांतिलाल मीणा निवासी अवलेश्वर, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

––––––––––अप्रार्थी/गैरसायल

:–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975–:

:–निर्णय–: दिनांकः– 15 मई 2019

1–श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/आदेश/2010/1571–1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व अप्रार्थी/ गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृति का होकर जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरूद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नही करता है । अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 02 प्रकरण पंजीबद्व होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है। अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्व निम्नाकिंत संज्ञेय अपराधों की ईत्तला रिपोर्ट थाना हथुनिया में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उसके सामने अंकित हैः–

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	अंतिम रिपोर्ट पुलिस	निर्णय न्यायालय
35/2015	13 आर.पी.जी.ओ.	17.04.15	26/2015	दिनांक 05.08.2015 को दोषी करार एवं 100/– रू. जुर्माने से दण्डित
8/2016	13 आर.पी.जी.ओ.	20.01.16	4/2016	दिनांक 29.03.2016 को दोषी करार एवं 100/–रू जुर्माने से दण्डित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

2–मामला बाद पंजीबद्व कर, अप्रार्थी / गैरसायल को नोटीस जारी किया गया । अप्रार्थी/ गैरसायल उपस्थित और जवाब में अपने उपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा वर्तमान में उक्त आरोपों के अनुसार कोई कार्य नही करना बताया तथा वर्तमान में खेती का कार्य करना बताया।

3– गैरसायल ने दौराने बहस बताया कि गैरसायल वर्तमान में खेती का कार्य कर रहा है एवं पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण दर्ज किये गये वह जबरन पंजीबद्व किये गये है। साथ ही गैरसायल द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा केवल मात्र उनके टारगेट पूर्ण करने के लिए प्रकरण पंजीबद्व किये जो खारीज योग्य है।

4–हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया । जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी 'गुण्डा' कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो । जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरूद्व अप्रार्थी/ गैरसायल के 2 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है, जो कि काफी समय पुराने है। साथ ही विगत 6 माह की अवधि में कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 गैरसायल के विरूद्व दायर प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है एवं थानाधिकारी हथुनिया को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक से 3 माह तक गैरसायल की गतिविधियो पर नजर रखे। इन 3 माह की अवधि में यदि गैरसायल द्वारा कोई ऐसा कृत्य फिर किया जाता है तो सूचना पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के मार्फत इस न्यायालय को भिजावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़/थानाधिकारी हथुनिया को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2019.12.13 14:54:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: